(1) सांविधिक निर्धारित न्यूनतम अधिपोष को न प्राप्त कर पाना;

(2) राज्य सरकार द्वारा ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी आर्थिक सहायता की पूर्ण मात्रा मुहैया न कराया जाना; और

(3) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को पहले दिए गए ऋणों से सम्बन्धित मूलधन, ब्याज आदि का पी० एफ० सी० को भुगतान करने में चूक करना।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त (घ) को मद्देनज़र रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली क्लाथ मिल्स (डी०सी०एम०) के शेयर

*11. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या वित्त मंत्री 21 दिसम्बर, 1993 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2595 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बेसूनेडा और रेंजर्स कामर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने श्रीराम इंडस्ट्रियल इन्टरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर खरीदने के लिए किन-किन स्रोतों का उपयोग किया;

(ख) जम्मू स्थित अन्य कौन-कौन सी कंपनियों ने दिल्ली क्लाथ मिल्स (डी०सी०एम०) और श्रीराम समूह की कंपनियों के शेयर खरीदे हैं;

(ग) उनकी आय के स्रोत क्या हैं;

(घ) क्या मारीशस स्थित कंपनियों ने भी श्रीराम और दिल्ली क्लाथ मिल्स (डी०सी०एम०) समूह की कंपनियों के शेयर खरीदे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) से (ङ) सरकार, कंपनी के शेयरों की खरीद हेतु आय के स्रोतों से संबंधित आंकड़ों का रखरखाव नहीं करती है। सरकार में यह प्रथा भी नहीं है कि शेयरों की खरीद के लिए वह निजी कंपनियों से उनके निधियों के स्रोत का प्रमाण मांगे जब तक कि ऐसा प्रथम दृष्टया साक्ष्य न हो कि कानून का उल्लंघन हुआ है। इस मामले में, चूंकि ऐसा कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद नहीं है और जिस कंपनियों के विषय में सूचना मांगी जा रही है, वे सरकारी कंपनियां नहीं हैं, अतः सरकार इस प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने में असमर्थ है।

आयकर विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति

*12. **श्री मूलचन्द मीणा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आय-कर और सीमा शुल्क विभागों में पदोन्नति के नियम क्या हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त विभागों में अनुसूचित जाति के कितने व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया है;

(ग) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान सीमा-शुल्क विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों को उनकी पदोन्नति द्वारा नहीं भरा गया है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार उन रिक्त पदों को, जिन्हें अभी तक भरा नहीं गया है, किसी विशेष अभियान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) आयकर और सीमा शुल्क विभागों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षण से सम्बन्धित पदोन्नति नियमों में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए अनुदेशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाता है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) दिनांक 1.4.1993 से सीधी भर्ती कोटे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों को भरने के लिए सरकार ने एक विशेष भर्ती अभियान चलाया है और भर्ती के लिए इसकी सूचना कर्मचारी चयन आयोग को दे दी गई है।

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की पिछली इकट्ठी हुई रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया विशेष अभियान के तहत 31.3.1994 तक पूरी होने की सम्भावना है।